न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–114 / 2019

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1.बाबुसिंह पुत्र खीमसिंह	1.मदनसिंह पुत्र रूपसिंह
2.पदमसिंह पुत्र खीमसिंह	2.जबरसिंह पुत्र रूपसिंह
3.श्रीमति मटकी पत्नि खीमसिंह	3.सोहनसिंह पुत्र रूप सिंह
4.पबीया उर्फ प्रभूसिंह पुत्र नरसिंग	4.कमला बेवा रूपसिंह
5.सूजा उर्फ सुजानसिंह पुत्र नरसिंग	5.समदा बेवा चैनसिंह
जाति राजपूत निवासी बोरावास	जाति राजपूत निवासी बोरावास
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादीगण एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक–12.1.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बोरावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 98 रकबा 04–02 बीधा भूमि [illegible] वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चल[illegible] वादग्रस्त भूमि में कोई सरोंकार नहीं है,फिर भी वादीगण की खातेदारी भूमि में दखल[illegible] की करने की कोशिश की जाती रहती है और आये दिन वादीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माठे को तोड़ने को प्रयासरत है,जबकि प्रतिवादी पक्ष को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं है। इस प्रकार वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें, इस आशंय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। वकील श्री चेलाराम कूमावत द्वारा प्रतिवादी की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी वकील को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 बाबुसिंह व पी.डब्ल्यू–2 मनोहरसिंह के बयानात करवायें गयें। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम बोरावास की खेत खसरा संख्या 98 की जमाबंदी संवत 2073–2076 व ई.एक्स.पी–02 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोरावास तहसील पचपदारा की खेत खसरा संख्या 98 रकबा 4–02 बीधा भूमि अवस्थित है,वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में रहवासीया ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादी पक्ष झगड़ालू प्रवृति के [illegible] वादीगण की भूमि को हड़प करने की नियत रखतें है और आये दिन [illegible] कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है,ओर वादीगण की ख[illegible]री भूमि की पुरानी कायम माठे को तोड़ने का प्रयासरत है,और आये दिन वादीगण को धमकिया दी जा रही है कि वादीगण की कब्जाशुदा भूमि में अवैध कब्जा कर लिया जावेगा। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई हक हकूक निहित नहीं है। इसके उपरांत भी ताकत के बल पर वादीगण की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि प्रतिवादी पक्ष ऐसा करने में सफल हो गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी साबित है कि प्रतिवादी पक्ष वादीगण की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप कर रहें है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अति आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे,कि वें वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें।

5. हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बोरावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 98 रकबा 4–02 बीघा भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे,इस कारण वाद लाया गया है। जो कि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित रखने के हकदार है। क्योकि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई हक हकूक नहीं बनता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती है,तो वादीगण को नुकसान होने की प्रबल संभावना है। ऐसी सूरत में वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का हकदार है। वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी पक्ष वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैधा कब्जा करने की कोशिश करते रहते है, कि एक प्रकार से गैर कानूनी है और प्रतिवादी पक्ष को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6.लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व इस आंशय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है,कि ग्राम बोरावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 98 रकबा 4–02 बीघा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested